(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2150–एक/ 2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 2–5–2009 – पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 78/2005–06 निगरानी

1– माना पुत्र जीवनलाल कुशवाह
2– श्रीमती कलावाई पत्नि मान्या
3– मातादीन पुत्र माना कुशवाह
4– हरीसिंह पुत्र माना कुशवाह
5– विजयसिंह पुत्र माना कुशवाह
6– संतोष पुत्र माना कुशवाह
7– रतनू पुत्र लल्लू
8– शंभू पुत्र बलबंत सिंह
9– शिवचरण पुत्र राधे
10– बनवारी पुत्र रतनू
11– गिर्राज पुत्र स्व. रघुनाथ
12– बाबूलाल पुत्र रघुनाथ
13– श्रीमती लीला पत्नि मुन्ना
14– पिंटू पुत्र रघु
15– धप्पू पुत्र प्रभू
16– मुल्ला पुत्र रघु
17– सोनेराम पुत्र रघु
18– चिन्टू पुत्र वर्दी
19– काशीलाल पुत्र वर्दी
20– देवीलाल पुत्र वर्दी
21– श्रीपत पुत्र वर्दी
22– बलवंत पुत्र रतनू
सभी निवासीगण ग्राम अगरा तहसील विजयपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा . --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)

(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 3 -3 -2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 78/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2–5–2009 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है तहसीलदार विजयपुर ने तत्समय में आदेश पारित कर ग्राम अगरा पटवारी हलका नंबर 26 में राजस्व भूमि काविलकास्त होने के आधार पर ग्राम के कुल 27 भूमिहीनों को 25.583 हैक्टर भूमि के पटटे दिये थे **(तहसीलदार के किस प्रकरण में व किस आदेश दिनांक से पटटे दिये गये है अपर कलेक्टर श्योपुर के स्वमेव निगरानी प्रकरण में तथा आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण में अंकित नहीं है)**। नायव तहसीलदार विजयपुर ने प्र0क0 49/2000-01 में प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2000 लिखकर अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर को प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया कि ग्राम अगरा की शासकीय भूमि 1162.922 हैक्टर जो पटवारी अभिलेख में राजस्व भूमि दर्ज है को बन भूमि घोषित कर दिये जाने से बन भूमि अभिलेख में दर्ज करने किया जाना है । दूसरी सूची पटटों की भूमि की है जो बन भूमि घोषित होने से प्रस्तुत है जिसका विवरण नाम पटटेदार सहित प्रस्तुत है। इस प्रकार नायव तहसीलदार ने कुल 27 पटटाग्रहीताओं के नाम उल्लेखित कर उनके नाम के सामने सर्वे नंबर एंव कुल रकबा 24.583 हैक्टर अंकित करते हुये बन भूमि घाषित किये जाने के प्रस्ताव दिये।

अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने नायव तहसीलदार के प्रस्ताव को दिनांक 8-1-2001 को कलेक्टर श्योपुर की ओर अग्रेषित किया। अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 90/2000-01 निगरानी दर्ज कर पटटाग्रहीता भूमिस्वामियों को सूचना जारी किये बिना 27 पटटे निरस्त कर वन भूमि घोषित करने का दिनांक 11-1-2001 को निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 78/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-5-2009 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व

उक्त 27 पट्टाग्रहीताओं में से निगरानी मेमो में अंकित 22 पट्टाग्रहीओं ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार विजयपुर ने पट्टा निरस्त करने का प्रस्ताव दिनांक 30.11.2000 प्रस्तुत करने के पूर्व न तो तहसीलदार विजयपुर व्दारा किस प्रकरण व किस आदेश व्दारा पट्टे दिये गये हैं एंव पट्टे कितने वर्ष पुराने हैं - किसी प्रकार की छानवीन नहीं की है तथा न ही तहसीलदार के पट्टा प्रकरण को जॉच-परख हेतु मॅगाया है अपितु सीधे सीधे पटवारी हलका नंबर 26 के प्रस्ताव पर आर्डरशीट दिनांक 30.11.2000 लिखकर पट्टा निरस्त कर बन भूमि घोषित करने के प्रस्ताव दिये हैं, जबकि नायव तहसीलदार ने आर्डरशीट दिनांक 30.11.2000 में स्वीकार किया है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भूमि पूर्व में राजस्व विभाग की एंव वाद में पट्टेदारों की भूमि है। स्पष्ट है कि जब भूमिस्वामी की भूमि शासकीय प्रयोजन के लिये वापिस ली जाती है उसे सुना जाना नियमों में अनिवार्य है परन्तु आवेदकगण को सुने बिना नायव तहसीलदार व्दारा दिया गया प्रस्ताव एकपक्षीय है एंव इसी एकपक्षीय प्रस्ताव पर से आवेदकगण को नोटिस दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 90/2000-01 निगरानी पारित आदेश दिनांक 11-1-2001 नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 78/2005-06 निगरानी में पारित

आदेश दिनांक 2-5-2009 में उक्त पर ध्यान न देने की हुई भूल के कारण उनके व्दारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 78/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-5-2009 एंव अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 90/2000-01 निगरानी परित आदेश दिनांक 11-1-2001 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाते हैं एंव आवेदकगण के हित तक निगरानी स्वीकार करते हुये आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि अंकित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर